न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–01, गोरखपुर।
सत्रवाद सं0–1415/2021
राज्य बनाम रीमा।

दिनांक 10.01.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्ता रीना देवी व नन्हें उपस्थित। पूर्व नियत तिथि पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ए0डी0जी0सी0 को प्रार्थनापत्र 27ख, 28ख व 33ख अन्तर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 पर सुना जा चुका है।

अभियुक्तगण नन्हें व रीमा की ओर प्रस्तुत किये गये तीनों प्रार्थनापत्र एक ही प्रकृति के हैं, जो पी0डब्लू02 धर्मवीर को रिकॉल कर जिरह करने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

अभियुक्त नन्हें की ओर से प्रार्थनापत्र 27ख अन्तर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसकी जमानत दिनांक 29.08.2023 को माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृत हो ने के बाद वह जेल से रिहा हुआ है। उसके जेल रहने के दौरान पी0डब्लू01 लगायत पी0डब्लू04 का साक्ष्य हुआ। उसने दिनांक 20.06.2024 को अपने पूर्व अधिवक्ता के स्थान पर श्री पी0डी0 सिंह का वकालतनामा दाखिल कर उन्हें अपना अधिवक्ता नियुक्त किया। उसके अधिवक्ता ने उसको बताया कि मृतक मृतक के आत्महत्या करने व लाश सहतूत के पेड़ से लटके होने की सूचना लिखित पी0डब्लू02 धर्मवीर ने दिनांक 28.04.2021 को थाना स्थानीय पर दिया, जो थाना के जी0डी0 पर दर्ज होकर मृतक की लाश का पंचनामा हुआ और उसके बाद दिनांक 03.05.2021 को पी0डब्लू02 के लिखित प्रार्थनापत्र के आधार पर वह व सह अभ्युक्ता के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। पी0डब्लू02 के मुख्य बयान में उक्त मृत्यु की सूचना लिखित कागज के संबंध में कुछ नहीं कहा गया तथा जानकारी के अभाव में उसके पूर्व अधिवक्ता द्वारा भी उक्त सूचना के बारे में प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकी। उसको धारा–207 दं0प्र0सं0 के पालन में उक्त सूचना लिखत की कापी भी नहीं दी गयी है। उक्त परिस्थितियों में पी0डब्लू02 द्वारा दी गयी मृत्यु की लिखित सूचना के संबंध में प्रतिपरीक्षा किया जाना आवश्यक है।

अभियुक्ता रीमा की ओर से प्रार्थनापत्र 28ख अन्तर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि पी0डब्लू02 धर्मवीर द्वारा दिनांक 28.04.2021 को अपने भाई की आत्महत्या के संबंध में थाने पर दी गयी लिखित सूचना पर पुलिस ने लाश का पंचनामा किया पंचनामा होने के पांच दिन बाद वादी मुकदमा ने दिनांक 03.05.2021 को लिखत प्रार्थनापत्र देकर उसके व सह अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया, परन्तु न्यायालय में मुख्य बयान में यह कहा कि किसी की सूचना पर पुलिस भी आ गयी और उस पेड़ से उसके भाई की लाश उतारा गया। वादी मुकदमा ने अपने लिखत प्रार्थनापत्र दिनांक 28.04.2021 को मुख्य बयान में जानबूझकर छिपा लिया है। उसको उक्त प्रार्थनापत्र दिनांकित 28.04.2021 से संबंधित कापी धारा–207 दं0प्र0सं0 के पालन में नहीं दी गयी है। उसके तरफ से न्यायमित्र को उक्त तथ्य की जानकारी नहीं दी जा सकी, जिससे उस संबंध में गवाह पी0डब्लू02 धर्मवीर से प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकी। अतः उक्त के संबंध में जिरह करने हेतु अनुमति देने व उक्त गवाह व संबंधित प्रार्थनापत्र को तलब करने का आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

अभियुक्ता रीमा की ओर से पुनः प्रार्थनापत्र 33ख अन्तर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मृतक शंकर की लाश का पंचनामा वादी मुकदमा पी0डब्लू01 धर्मवीर के लिखित सूचना के आधार पर हुआ, परन्तु वादी मुकदमा पी0डब्लू01 ने अपने मुख्य बयान में उक्त तथ्य को छिपा लिया है तथा यह कहा है कि किसी सूचना पर पुलिस भी आ गयी और उस पेड़ से उसके भाई का लाश

उतारा गया। मैं अपने भाई की लाश देखकर रोने धोने लगा। उक्त सूचना द्वारा वादी पी0डब्लू02 को अभियोजन पक्ष ने भी जान बूझकर छिपा लिया है। अतः उक्त के संबंध में गवाह पंचायतनामा कर्ता पी0डब्लू06 से जिरह करने हेतु उक्त सूचना दिनांकित 28.04.2021 मृतक शंकर तलब करने का आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण उपरोक्त प्रार्थनापत्रों के माध्यम से पी0डब्लू02 धर्मवीर सिंह से यह कहते हुये रिकॉल कराकर जिरह करना चाहते है कि पी0डब्लू02 धर्मवीर ने मुख्य परीक्ष में यह तथ्य छिपा लिया था कि मामले की सूचना उसके द्वारा थाने पर दी गयी है। जबकि प्रस्तुत मामले में जी0डी0 सं0–10 दिनांकित 28.04.2021 समय रात 09.04 बजे धर्मवीर के द्वारा घटना की तहरीर दी गयी है। अतः वह इस संबंध में जिरह नहीं कर पाये है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त की ओर से पी0डब्लू02 धर्मवीर से दिनांक 01.10.2022, 02.11.2022 व 01.02.2023 को लगभग 13 पृष्ठों की विस्तृत जिरह की गयी है। अतः अभियुक्तगण का यह तर्क बलहीन है कि वह पी0डब्लू02 धर्मवीर से तहरीर के संबंध में जिरह नहीं कर पाया है। अभियुक्तगण की ओर से ऐसे कोई प्रश्न भी उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जो तहरीर की बाबत वह साक्षी धर्मवीर से पूछना चाहता है। अभियुक्तगण की ओर से साक्ष्य रिकॉल कर जिरह करने हेतु दिये प्रार्थनापत्र आधारहीन हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तीनों प्रार्थनापत्र 27ख, 28ख व 33ख अन्तर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तीनों प्रार्थनापत्र 27ख, 28ख व 33ख अन्तर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 निरस्त किये जाते हैं।

पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य हेतु दिनांक 15.01.2025 पेश हो।

ह0

अपर सत्र न्यायाधीश

न्यायालय संख्या–1, गोरखपुर।

Digitally signed by CHANDRA BHAN SINGH
Date: 2025.01.10 16:33:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court